न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1021 सन 2026

(CNR No. UPFT-010026422026)

पिन्टू यादव पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम मैकू का पुरवा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 215 सन 2026

धारा: 331 (4), 317 (2) एवं 305 भारतीय न्याय संहिता

थाना: कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

11.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्त पिन्टू यादव की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 215 सन 2026 अन्तर्गत धारा 331(4), 305 व 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अशोक कुमार द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मो0 शादाब ने दिनांक 24.05.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि वह आर0टी0ओ0 आफिस हाइवे फतेहपुर में अलमारी बनाने का कारखाना खोले हुए है। दिनांक 23.05.2026 को रोज की भांति समय लगभग 8:00 बजे रात्रि को अपना कारखाना बंद करके अपने निवास तुराब अली का पुरवा चला गया था। दिनांक 24.05.2026 को प्रात: 8:00 बजे जब वह कारखाना आकर शटर खोला तो देखा कि कारखाना का पिछला दरवाजा खुला हुआ, पूरा सामान

बिखरा हुआ है। कारखाना की कम्प्रेशर मशीन की इलेक्ट्रिक मोटर, फर्राटा पंखा, दो बैटरी, 11–12 कुन्तल लोहे की चादर, एक साउण्ड व अलमारी बनाने के औजार चोरी हो गये है। उसने काफी खोजबीन किया परन्तु कोई जानकारी नहीं मिली, उसने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन झूंठा फंसाया है। आवेदक चाय की दुकान चलाता है और अभियुक्त रहमत से उधारी का पैसा मांगने को लेकर विवाद था, उसी कारण अभियुक्त ने आवेदक का नाम अपने बयान में लिया है। आवेदक का नाम सह अभियुक्त के बयान से प्रकाश में लाया गया है जबकि आवेदक पैर से विकलांग है और शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर है। आवेदक का कथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। आवेदक पर अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम से नामजद नहीं है किन्तु दौरान विवेचना उनका नाम प्रकाश में आया है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा दिनांक 26.05.2026 को सह अभियुक्त रहमत को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक अदद फर्राटा पंखा बरामद किया गया और उक्त बरामदशुदा पंखा प्रस्तुत प्रकरण में वादी का चोरी किया गया पंखा है तथा सह अभियुक्त द्वारा आवेदक/अभियुक्त के साथ अभिकथित घटना कारित किये जाने की संस्वीकृति की गयी है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के कारखाने में चोरी किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार दिनांक 26.05.2026 को पुलिस बल द्वारा सह अभियुक्त रहमत को गिरफ्तार किया जाना व उसके कब्जे से एक अदद पंखा बरामद किया जाना एवं उक्त बरामदशुदा पंखा प्रस्तुत प्रकरण में चोरी गया पंखा होना बताया गया है किन्तु अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियोजन

प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त के बयान से प्रकाश में आना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी होना नहीं बतायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त पर अभिकथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परीक्षणीय है। सह अभियुक्त रहमत की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और आवेदक/अभियुक्त का मामला उससे बेहतर स्थिति का बताया गया है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा एवं एवं विधि व्यवस्था Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and Ors. (2022) 10 SCC 51 तथा दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 6400 सन 2025 Smt. Bacchi Devi Vs. State of U.P. and Another में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2025 को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त पिन्टू यादव की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को मुकदमा अपराध संख्या 215 सन 2026 अन्तर्गत धारा 305, 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर के मामले में विचारण पूर्ण होने तक गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की सूरत में आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये –

1– आवेदक/अभियुक्त स्वयं को किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष तलब किये जाने पर पेश करेगा; प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से भिज्ञ है, किसी पुलिस अधिकारी या अदालत के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए उत्प्रेरित नहीं करेंगें न उसे धमकी देंगें और न ही उससे कोई ऐसा वचन लेंगें। वह बगैर न्यायालय की अनुमति के 'भारत' नहीं छोंडेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 चैप्टर 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगे–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगी, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होगा तथा विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगे, स्थगन नहीं लेगा।

5– उपरोक्त में से किसी भी शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

दिनांक: 11.06.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.12 12:50:49 +05'30'